

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं० 09/उपा०कीट०अनु०-23/2009

/कृ० पटना, दिनांक

2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स कर्नाटका एन्टीबायोटिक एण्ड  
फार्मास्युटिकल्स लि०,  
अमरनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना-26

विषय : कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति संख्या-03 दिनांक 12.07.2010 वैधता तिथि  
31.12.2016 के नवीकरण संबंधी आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा कीटनाशी अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में स्थल जाँच पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया है कि प्रतिष्ठान का गोदाम हेतु कमरा तथा सुरक्षात्मक उपाय कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971, आदेश 1986 तथा संशोधित नियम 2015 के सुसंगत एवं अनुपालन कंडिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट नहीं कर पा रहा है।

अतः इस परिस्थिति में जाँच पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण की अनुशंसा नहीं की गई है जिस कारण आपके अनुज्ञप्ति नवीकरण से संबंधित आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-.....6617.....

/कृ०, पटना, दिनांक

06-11-2017

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना/ जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Handwritten signature*  
2.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।